राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पैरामेडि.कौं. / 2019 / 1926 दिनांकः–17/7/19

–::अनुबंध पर वाहन लेने हेतु प्रस्ताव आंमत्रण सूचना::–

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, प्लॉट नं. 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर कार्यालय जिसकी कार्यकारी और प्रचालन अधिकारिता संपूर्ण राज्य में विस्तारित है के संबंध में रजिस्ट्रार एवं परीक्षा नियंत्रक को कार्यालय उपयोग हेतु अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिये दो टैक्सी वाहन (कार) की आवश्यकता है। जिसकी अनुमानित लागत राशि 06 लाख रूपये है। इच्छुक व्यक्ति स्वामी, फर्म एवं ट्रेवल ऐजेन्सी जो स्वयं के नाम से टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत वाहन रखते हो जो वित्त विभाग के परिपत्र एफ 2(4) F.D./SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व दिनांक 28.02.2019 द्वारा निधारित दरें एवं शर्तों तथा संलग्न शर्तो के अनुसार अपने प्रस्ताव (संलग्न प्रपत्र में भरकर) इस कार्यालय को दिनांक 24.07.2019 तक (अपरान्ह 02 बजे) तक प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओ के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोले जावेंगे। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रहेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

17/7/19

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पैरामेडि.कौं. / 2019 / 1926 दिनांकः–17/7/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाइट व SPPP.Rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करें।
2. नोटिस बोर्ड (प्लॉट नं. 6–7, एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)
3. रक्षित पत्रावली।

17/7/19
रजिस्ट्रार

प्रस्ताव प्रपत्र

रजिस्ट्रार
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल,
जयपुर।

विषयः– अनुबंध पर किराये के वाहन (कार) उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे/हमारी फर्म द्वारा आपके कार्यालय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अनुबंध पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1	वाहन मालिक/फर्म का नामः–	
2	पताः–	
3	मोबाईल नम्बरः–	
4	वाहन का रजिट्रेशन नम्बर (आर.सी. की छाया प्रति संलग्न)	
5	वाहन का प्रकार :–	
6	वाहन का मॉडल वर्षः–	
7	वाहन चालक का नामः–	
8	वाहन चालक के लाईसेन्स नम्बर (छाया प्रति संलग्न)	
9	वाहन परमिट एरिया (छाया प्रति संलग्न)	
10	वाहन का इन्शोरेन्स अवधि (छाया प्रति संलग्न)	
11	वाहन मालिक/फर्म के पैन कार्ड नम्बर (छाया प्रति संलग्न)	

वाहन मालिक/ठेकेदार/फर्म के हस्ताक्षर

अनुबंध पर किराये के वाहन लेने हेतु नियम एवं शर्ते

1. प्रथम 1500 किलोमीटर या कम के लिये– 24000/– रूपये प्रति माह (जीएसटी अतिरिक्त यदि लागू हो) की दर पर भुगतान किया जायेगा।
2. 1500 किलोमीटर से अधिक चालन के लिये– 09/– रूपये प्रति किलोमीटर की दर पर भुगतान किया जायेगा।
3. सभी विधिक कटौतियां, जैसे कि आयकर (टी.डी.एस.), सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता है मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि राशि 300/– रूपये संदत्त की जायेगी।
5. पथकर (टोल टैक्स) के सिवाय समस्त कर व्यक्ति स्वामी/ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किये जोयेंगे। व्यक्ति मालिक/ठेकेदार/फर्म द्वारा संदत्त पथकर का पुनर्भरण पथकर (टोल टैक्स) के संदाय की रसीद के देने पर किया जायेगा।
6. अनुबंध निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। अनुबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर दर परिवर्तन करने पर नई दरों को लागू होने का क्लाज किया जायेगा तथा दरें परिवर्तित दिनांक से लागू होगी।
7. नवीनतम मॉडल के वाहन को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. यदि वाहन सडक पर खडा हो जाता है तो मालिक/ठेकेदार/फर्म द्वारा अन्य वाहन स्वयं की लागत पर उपलब्ध करायेगा।
9. यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटनग्रस्त/टूट–फूट/चालान/मरम्मत आदि होने पर कार्यालय का कोई दायित्व नही होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिए वाहन मालिक/ठेकेदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा। पेट्रोल/डीजल, ऑयल आदि व्यय वाहन मालिक/ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
10. अनुबंधित वाहन को कार्यालय द्वारा सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी उपलब्धता हेतु निर्देशित किया जा सकता है जिसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
11. सफल प्रस्तावक को अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
12. सफल प्रस्तावक को निर्धारित प्रारूप में 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र निष्पादित करना होगा।

हस्ताक्षर वाहन मालिक/ठेकेदार/फर्म